खण्डपीठ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 8980/ 2006

(श्रीमती अनिता देवी बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य)

20.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

माननीय न्यायाधिपति श्री खेम चन्द शर्मा

श्री माधव मित्र, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थिनी।

श्री एम एल गोयल, अति0 राजकीय अधिवक्ता

श्री जे आर टांटिया, अधिवक्ता अप्रार्थी नम्बर-4

बालक दिगेश को पुलिस थाना- सांगानेर ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। दिगेश के कथन डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने एविडेंस एक्ट की धारा 118 के अन्तर्गत लेखबद्व किये। हमने बालक दिगेश के कथन का अनुशीलन किया। बालक दिगेश की आयु 6 वर्ष है और ऐसा प्रतीत होता है उसे अमेरिकन इन्टरनेशनल स्कूल में भर्ती कराया गया था और वर्तमान में हेवार्ड पब्लिक स्कूल एजूकेशन सोसायटी सांगानेर द्वारा संचालित स्कूल की कक्षा प्रेप में शिक्षा अध्ययन कर रहा है और उसकी फीस उसकी माता प्रार्थिनी अनिता देवी ने भरी है। अनिता देवी का विवाह सुरेश कुमार से दिनांक 23.04.2000 को हुआ था और विवाह के उपरान्त दिनांक 11.01.2001 को सडक दुर्घटना में सुरेश कुमार की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात अनिता देवी ने सुरेश कुमार के पुत्र को दिनांक 03.04.2001 को

जन्म दिया और उसका नाम दिगेश रखा गया एवं पति की मृत्यु के पश्चात अनिता देवी अपने ससुराल नांगल सूसावतान तहसील आमेर में एक वर्ष तक रही एवं उसके बाद वह अपने पीहर में वर्ष 2003 में आकर रहने लगी। दिनांक 02.11.2006 को अनिता देवी ने विजय सिंह से विवाह कर लिया। याचिका में अनिता देवी ने यह कथन किया है कि दिनांक 04.11.2006 को अप्रार्थी नम्बर-4 रामगोपाल, जो कि अनिता देवी का ससुर है, ने कई व्यक्तियों के साथ प्रार्थिनी के घर पर आया और बालक दिगेश को अपने साथ ले गया। अनिता देवी ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना सांगानेर में दिनांक 10.11.2006 को दर्ज कराई।

हमने पक्षकारों की और से प्रस्तुत तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना तथा अभिलेख का परीक्षण किया।

बालक दिगेश के वेलफेयर को दृष्टिगत रखते हुए और विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह उसकी माता के साथ रहकर हेवार्ड पब्लिक स्कूल एजूकेशन सोसायटी सांगानेर में पढ रहा है और उसके दादा के साथ रहने से उसकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है, हम पुलिस थाना- सांगानेर को निर्देश देते है कि वह बालक दिगेश को उसकी माता अनिता देवी के निवास स्थान पर सुरक्षा के साथ पहुंचा देंवे। यह भी निर्देश दिया जाता है कि अनिता देवी बालक दिगेश को

रामगोपाल व उसकी पत्नी, जो कि उसके दादा व दादी है, को मिलने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। सप्ताह में प्रत्येक रविवार को प्रात: 10 से 12 बजे तक रामगोपाल व उसकी पत्नी बालक दिगेश से आकर मिल सकेंगे।

उक्त निर्देश के साथ यह याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्या. खेम चन्द शर्मा) **(न्या. शिव कुमार शर्मा)**